पत्रांक–1 / आ0प्र0यो0–13 / 2010 2588 / आ0प्र0

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना 15, दिनांक– 24/7/14

विषयः जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को शताब्दी अन्न कलश योजना के अन्तर्गत भूखमरी से बचाव के लिए अब एक क्वींटल अनाज की जगह दो क्वींटल अनाज रिवांल्वींग स्टॉक के रूप में सुरक्षित रखने के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक–643 / आ0प्र0, दिनांक–29.02.2012

महाशय,

आपदा प्रबंधन विभाग के विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिनांक–19.07.2014 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में बिहार के सभी पंचायतों / शहरी क्षेत्र के वार्डो मे चयनित जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को शताब्दी अन्न कलश योजना के अन्तर्गत भूखमरी से बचाव के लिए अब एक क्वींटल अनाज की जगह दो क्वींटल अनाज रिवांल्वींग स्टॉक के रूप में सुरक्षित रखा जाना है।

अतः मंत्रिमंडल से संशोधित संलेख की स्वीकृति की प्रत्याशा में आप सभी को एक क्वींटल अतिरिक्त खाद्यान्न गेहूँ / चावल चयनित जनविकेता प्रणाली के पास रिवाल्वींग स्टॉक के रूप मे रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

विश्वासभाजन

24/7
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

F:\F sec 23.07.2014.docx